

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सीबी/एनएस/एफ-1935/2018/

दिनांक :

—:: आदेश ::—

श्रीमती मेरी पामर, नर्स श्रेणी द्वितीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डार जिला सवाई माधोपुर को निदेशालय के आदेश क्रमांक 986 दिनांक 17.06.2016 द्वारा तुरन्त प्रभाव से राज्यसेवा से निलम्बित किया गया था। कार्मिका द्वारा प्रस्तुत अवमानना संख्या 1459/17 इन एस0बी0सिविल रिट पिटिशन संख्या 7620/16 में नियत सुनवाई तिथि 14.11.2018 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में अंतिम निर्णय के अध्याधीन निलम्बन के 6 माह पूर्ण होने की तिथि से राजस्थान सेवा नियम-53 (1) (क)(I) में उपलब्ध प्रावधानानुसार पूर्व में प्राप्त कर रहे निर्वाह भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप श्रीमती मेरी पामर, नर्स श्रेणी-द्वितीय (निलम्बित) को अब वेतन का 75 प्रतिशत निर्वाह भत्ता देय होगा।

*Sof*

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज. जयपुर।

क्रमांक : सीबी/एनएस/एफ-1935/2018/1584

दिनांक : 15/11/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर
4. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(स्वा0) स0मा0 एवं प्रभारी अधिकारी केंस (अवमानना प्रकरण)
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु0 स्वा0 केन्द्र, खण्डार (स0मा0)
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु0 स्वा0 केन्द्र, बामनवास(स0मा0)
7. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, नर्सिंग अनुभाग, मुख्यालय।
8. श्रीमती मेरी पामर, नर्स श्रेणी द्वितीय (निलम्बित) द्वारा क्रम संख्या -06
9. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

*Arje*

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज. जयपुर।